18/5/18

पत्रावली आज प्राप्त होने पर देखा अवलोकन में पाया गया प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मौजपुरा जिला टोंक के कार्यालय दिनांक 30/12/2013 को अवैध कालोनी अवैध कॉलोनी में शामिल हो चुका है जिसमें रेगुलेशन का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 18-06-2015 को लगाया है। लगभग दो वर्ष बाद रेगुलेशन का प्रार्थना पत्र लगाने का कोई औचित्य नहीं पाया है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली की नकल इकरार रिपोर्ट शामिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner